

क्रमांक: ३ । ॥ ॥ कार्यक्रम/गत्प्राताल/2000/ ३०९६ दिनांक: २४/१/२०००

कार्यालय-आदेश

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड विकल्पा विनियम १९७० के अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड कर्मचारियों को विकल्पा सुखिधारों में विस्तार करते हुये रूँगटा हास्पिटल, मालवीय नगर, जयपुर को मंडल द्वारा नियंत्रित सामान्य इतरों के अंतर्गत विकल्पा उपयोग हेतु मान्यता दो जाती है ।

उपरोक्त आदेशों को अध्यक्ष मण्डल का अनुमोदन प्राप्त है तथा मंडल के नियम की पूर्व अधिकारी में जारी किया जाता है ।

संहिता ८२।

प्राप्ति लिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

१. निजी संहिता-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियंता, रा. आ. म., जयपुर
२. अति. मुख्य अभियंता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/पी. एड ब्रम., रा. आ. म., जयपुर
३. वरि. निजी सहायक-संहिता/वि. स. एवं मु. ले. ३८, रा. आ. म., जयपुर
४. उप आवासन आयुक्त, पृष्ठा... .
५. आवासीय अभियंता/बैच्चन्ड... .
६. लेखाधिकारी, वित्त/भूगतान, रा. आ. म., जयपुर
७. समस्त ग्राफिकारी/समस्त प्रकोष्ठ... .
८. निदेशक, रूँगटा हास्पिटल, मालवीय नगर, जयपुर
९. राधित पत्रावली

संहिता ८२।